दिनांक	आज्ञा-पत्र
26-4-19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते इन्तजार रिपोर्ट उपतहसीलदार पलसाना दिनांक 29-4-19 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु॰) सीकर
29-4-19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप.। इन्तजार रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 1-5-2019 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु॰) सीकर
1-5-19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप.। उप तहसीलदार/उप पंजीयक पलसाना ने अपने पत्र क्रमांक पंजीयन/19/63 दिनांक 1-5-19 के द्वारा रिपोर्ट भिजवाई जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी मुताबिक आपसी सहमति से बंटवारा के अनुसार डिक्री किया गया। निर्णय अलग से लिखकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (मु॰) सीकर निर्णय आज दिनांक 1-5-19 को सरे इजलास सुनाया गया। सहायक कलक्टर (मु॰) सीकर

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

पीठासीन अधिकारी :– अनिल कुमार, आर0ए0एस0
पत्रावली संख्या दावा 08/2019
नागरमल पुत्र कुशला जाति जाट निवासी गोरियां तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
– वादी,

बनाम

1 लिछमण पुत्र चन्द्रा (फौत)
1/1 प्रभाती देवी पत्नी स्व0 लिछमण
1/2 श्रवण कुमार । पुत्रगण स्व0 लिछमण
1/3 फूलचंद ।
1/4 सुनिता पुत्री स्व0 लिछमण।
1/5 सुशीला पुत्री स्व0 लिछमण।
2. भगवाना पुत्र कुशला (नाम हजफ)
3. मु0 फूली बेवा कुशला (नाम हजफ)
समस्त जाति जाट निवासीगण गोरियां तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
4. नेमीचंद पुत्र केशरदेव।
5. सांवरमल पुत्र प्रेमराज।
6. मदनलाल पुत्र प्रेमराज।
समस्त जाति कुमावत निवासीगण वेद की ढाणी तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर।
7. नायब तहसीलदार,पलासाना।
8. उप पंजीयक,पलसाना।

– प्रतिवादीगण,

उपस्थित :–

1. श्री गणपतलाल,वकील वादी की ओर से।
2. श्री सांवरमल,वकील प्रतिवादीगण की ओर से।

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा एंव रिकार्ड संशोधन अंतर्गत धारा 88,188 आर0टी0एक्ट एंव धारा 136 भू राजस्व अधिनियम।

:: निर्णय :: दिनांक :–01.05.2019

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि वादी एंव प्रतिवादीगण की राजस्व रिकार्ड में खातेदारी आराजियात ग्राम सुजावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में कृषि भूमि ख0नं0 78 रकबा 0.18 है0 गै0मु0रास्ता ख0नं0 79 रकबा 0.01 है0 गै0मु0चाह ख0नं0 80 रकबा 2.50 है0 चाही ख0नं0 80/1093 रकबा 0.06 है0 चाही,ख0नं0 81 रकबा 0.94 है0 चाही अवस्थित है। उपरोक्त वर्णित काश्त भूमियां में वादी राजस्व रिकार्ड में सह खातेदार के रूप में दर्ज है तथा वादी ही उपरोक्त कृषि भूमियां का एकमात्र काबज खातेदार काश्तकार है तथा इन्हीं भूमियां में अपने मकानात बनाकर सह परिवार हाल आबाद है तथा ख0नं0 79 से अपनी काश्त भूमियों की सिंचाई करता चला आ रहा हैं। प्रति0सं0 1 ख0नं0 76 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 चाह व ख0नं0 77 रकबा 2.78 चाही पर काश्त करता चला आ रहा है।

प्रति0सं0 1 ने अपने भाईयों झुंथाराम,रामेश्वर,गिरधारी,सोना पुत्र चन्द्राराम से आपस में साज कर वादी की कृषि भूमियों ख0नं0 78,79,80,80/1093 व 81 में दिनांक 5.7.05 को एक फर्जी सहमति नामा नायब तहसीलदार,पलसाना को पेश कर उपरोक्त के नाम हजफ करवा लिये तथा अपना नाम 1/2 हिस्सा के रूप में दर्ज करवा लिया जो कि कतई निराधार बिना कब्जा काश्त के होते हुए वादी को नुकसान पहुंचाने की नियत से दर्ज करवा लिया है तथा राजस्व रिकार्ड में बिना वादी को सूचना दिये गुपचुप में काय्रवाही कर उपरोक्त नामान्तरकरण के जरिये राजस्व रिकार्ड में हेराफेरी करवाई है। वादी को इस आशय की जानकारी होने पर प्रतिवादी को कहां तो राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने से इंकार हो गया तथा उसने धमकी दी कि वह इस जमीन को अन्य दीगर लोगों को बेचान कर देगा,गिरवी रख देगा एंव वादी को बेदखल कर देगा। इस कारण दिनांक 8.7.05 को उपरोक्त प्रकार से धमकी देने के कारण वाद कारण पैदा होने से दावा किया जाना आवश्यक हुआ। वादी ने वाद पेश ग्राम सुजावास तहसील दांतारामगढ़ की कृषि भूमि ख0नं0 78,79,80,80/1093,81 मे से प्रति0सं0 1,2 व 3 का नाम हजफ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने व प्रति0सं0 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से वादी के अधिकारों पर किसी प्रकार की दखलदांजी व बेचान,गिरवीनामा आदि से बाज रखने हेतु पाबंद करने हेतु निवेदन किया है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये वकील उपस्थित आए तिा जवाब दावा व काउन्टर क्लेम पेश किया। पक्षकारान को सुनने के बाद न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 01.07.2010 में प्रारम्भिक डिक्री जारी करने पर प्रति0सं0 1 द्वारा राजस्व अपील अधिकारी न्यायायाल,सीकर में इसकी अपील की तथा उक्त अपील खारिज होने पर प्रति0सं0 1 द्वारा माननी न्यायालय राजस्व मंडल,अजमेर में अपील की गई । दौराने अपील पक्षकारान के मध्य माननीय न्यायालय राजस्व मंडल,अजमेमर में राजीनामा होने पर प्रकरण इस न्यायालय को निर्णय दिनांक 12.09.2018 को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि राजीनामा का विधि अनुकूल परीक्षण कर नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें।

पक्षकारान द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मंडल,अजमेर में दिनांक 25.07.2018 को राजीनामा पेश किया गया कि "कृषि भूमि ख0नं0 76 रकबा 0.01 है0 ख0नं0 77 रकबा 2.78 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.79 तथा कृषि भूमि ख0नं0 78 रकबा 0.18 है0 ख0नं0 79 रकबा 0.01 हे0 ख0नं0 80 रकबा 2.50 है0 ख0नं0 80/1093 रकबा 0.06 है0 ख0नं0 81 रकबा 0.94 है0कुल किता 5 कुल रकबा 3.69 है0 वाके ग्राम सुजावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित है,जिसके मुताबिक ख0नं0 76,77 अपीलांट (लिछमण) के हिस्से में आया है तथा ख0नं0 78,79,80,80/1093,81 रेस्पोडेन्ट सं0 1 नागरमल के हिस्से में आया है। इसके साथ ही ख0नं0 78 गै0मु0 रास्ता हे,जो राजीनामा में रेस्पोडेंट सं0 1 नागरमल के हिस्से में आया है। उक्त रास्ते के पश्चिम में जो जमीन है वह अपीलांअ के हिस्से में रहेगी तथा उक्त रास्ते के पूरब में जो जमीन है। वह रेस्पोडेन्ट सं0 1 नागरमल के हिस्से में रहेगी।" दोनों पक्ष दिनांक 11.4.19 को न्यायालय में पेश हुए तथा दोनों पक्षों ने मुताबिक राजीनामा दावे का निस्तारण हेतु निवेदन करते हुए पक्षकार वादी नागरमल एंव प्रति0सं0 1/2 श्रवण कुमार ने आपसी सहमति से बंटवारे का प्रपोजल पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा वकील उभय पक्ष को सुना गया। प्रपोजल को नायब उप पंजीयक,पलसाना को दोनों पक्षकार की भूमि का रकबा बराबर नहीं होने से नियमानुसार बराबर से अधिक धारित रकबे पर मुद्रांक शुल्क की गणना की जाकर मुद्रांक शुल्क वसूल करते हुए चालान की प्रति न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

उप पंजीयक,पलसाना ने जरिये पत्रांक 63/पंजीयन/19 दिनांक 1.5.19 के द्वारा रिपोर्ट भिजवाई कि :- ग्राम सुजावास प0ह0सुजावास के खाता सं0 58 के ख0नं0 78,79,80,80/1093,81 किता 5 रकबा 3.69 है0 में लिछमण के वारिसान के द्वारा 1/2 हिस्सा की 1.8450 है0 भूमि संपूर्ण श्री नागरमल पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी गौरियां के हिस्से में छोड़ी जा रही है। इसी ग्राम सुजावास के खाता सं0 57 के ख0नं0 76,77 किता 2 रकबा 2.79 है0 में नागरमल पुत्र कुशलाराम का 1/2 हिस्सा की भूमि 1.3950 है0 भूमि लिछमण पुत्र चन्द्रा के वारिसान के हिस्से में छोड़ी जा रही है। इस प्रकार दोनों पक्षकारों की स्थानान्तरित की जाने वाली भूमि का रकबा बराबर-बराबर नहीं हो रहा है। इसके द्वारा स्थानान्तरित की जाने वाली भूमि में अंतर 1.8450-1.3950 =0.45 है0 भूमि है। प0ह0 सुजावास से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सुजावास प0मं0 सुजावास के ख0नं0 78,79,80,80/1093,81 एन.एच. से एक खसरा नंबर छोडकर एंव गोरियां सुजावास लिंक सड़क होने से डीएलसी 2614050/- रूपये प्रति है0 के हिसाब से मुद्रांक शुल्क की गणना करने पर मुद्रांक शुल्क कुल राशि 70579/-रूपये बनता है। साथ ही वादी नागरमल द्वारा मुद्रांक शुल्क एंव सरचार्ज राशि कुल 70580/- रूपये जरिये चालान जमा कराने पर चालान की फोटो प्रति संलग्न कर प्रेषित की है।

हमने अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एंव उप पंजीयक,पलसाना की रिपोर्ट का बगौर अवलोकन किया। वादी नागरमल एंव प्रति0सं0 1/2 श्रवण कुमार द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमति से बंटवारे का प्रपोजल एंव दोनों पक्षकार की भूमि का रकबा बराबर नहीं होने से नियमानुसार बराबर से अधिक धारित रकबा 0.45 है0 पर नागरमल द्वारा मुद्रांक शुल्क की गणना उप पंजीयक,पलसाना द्वारा की जाकर मुद्रांक शुल्क की राशि रूपये 70580/- रूपये वादी श्री नागरमल द्वारा जमा कराकर चालान की रसीद प्रस्तुत कर दी गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी मुताबिक आपसी सहमति के बंटवारे अनुसार राजस्व ग्राम सुजावास तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित आराजियात के बाबत पक्षकारों के मध्य मौके पर किये गये बंटवारे के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है :-

नाम पक्षकार	खसरा नंबर	रकबा
1. वादी नागरमल पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी गोरियां तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के हक हिस्से में 718/738 प्रतिवादीगण सं0 4 लगायत 6 नेमीचंद पुत्र केशरदेव,सांवरमल पुत्र प्रेमराज, मदनलाल पुत्र प्रेमराज समस्त जाति कुमावत निवसी वेद की ढाणी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर के हिस्से में 20/738 जिसको नजरी नक्शें में बरंग पीला से दर्शित किया गया है।	78 79 80 80/1093 81	0.18 गै0मु0 रास्ता संपूर्ण 0.01 है0 संपूर्ण 2.50 है0 संपूर्ण 0.06 है0 संपूर्ण 0.94 है0 संपूर्ण
	किता 5	3.69 है0 कुल रकबा

2. प्रति0सं02 मृत लिछमण के वारिसान 1/1 से 1/5 प्रभाती देवी पत्नी लिछमण,श्रवण कुमार,फुलचंद पुत्रगण लिछमण, सुनीता, सुशीला पुत्रियां लिछमण समस्त जाति जाट निवासीगण गोरियां तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के हिस्से में बहिस्सा बराबर–बराबर जिसको नजरी नक्शें में बैंरग नीला से दर्शित किया गया है।	76 77	0.01 है0 संपूर्ण 2.78 है0 संपूर्ण
	किता 2	2.79 है0 कुल रकबा

राजीनामा व नजरी नक्शा निर्णय का हिस्सा रहेगा। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर(मु0)सीकर
सहायक कलक्टर
(मु०) सीकर

निर्णय आज दिनांक 01.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर(मु0)सीकर
सहायक कलक्टर
(मु०) सीकर